<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाधाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-116 / 2014</u> संस्थित दिनांक -07.02.2014

// <u>निणय</u> // (आज दिनांक-07/02/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—309, 506(भाग—दो) का आरोप है कि उसने घटना दिनांक—29.11.2013 को शाम के करीब 07:00 बजे ग्राम खर्रा अंतर्गत थाना परसवाड़ा में फरियादी शिवलाल परते के घर के कुंए में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया तथा फरियादी शिवलाल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—29.11. 13 को समय 07:00 बजे फरियादी शिवलाल का लड़का दीपक शराब के नशे में उसकी शादी नहीं करने पर जान देने की धमकी देते हुए आत्महत्या करने की गरज से घर के कुंए में जाकर कूद गया, जिसे पड़ोसियों की मदद से बाहर निकाला। आरोपी ने उसके पिता फरियादी को उसकी शादी न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना परसवाड़ा में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—84 / 2013, धारा—309, 506 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—309, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं

विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरानी फरियादी शिवलाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को धारा—506(भाग—दो) भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध धारा—309 भा.द.वि. का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—29.11.2013 को शाम के करीब 07:00 बजे ग्राम खर्रा अंतर्गत थाना परसवाड़ा में फरियादी शिवलाल के घर के कुंए में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— फरियादी शिवलाल परते (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी उसका लड़का है। घटना आज से लगभग एक साल पहले की है। आरोपी से उसका आपसी झगड़ा हो गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 नहीं बनाई थी, किन्तु प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिखे थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी शादी न करने के कारण घर के पीछे बाड़ी के कुंए में कूद गया था। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1, नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 एवं उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 6— संतोष (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिए थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी शिवलाल ने घटना के समय उसे आवाज देकर बुलाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने मौके पर आरोपी को कुंए से बाहर निकालने में मदद किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 7— दिनेश (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिए थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी शिवलाल ने घटना के समय उसे आवाज देकर बुलाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने मौके पर

आरोपी को कुंए से बाहर निकालने में मदद किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— अनुसंधानकर्ता जे.एल. वाघाड़े (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 29.11.13 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शिवलाल परते की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक कुंजन टेकाम के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिबेदन कमांक—84 / 13 धारा 309, 506 भा.द.वि. आरोपी के विरुद्ध लेखबद्ध की गई थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक कुंजन टेकाम के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध कमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 30.11.13 शिवलाल की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी शिवलाल, साक्षी रामसिंह, रामकली, अशोप बाई, यशोदाबाई एवं दिनांक 04.01.14 को साक्षी दिनेश, संतोष के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को अपनी साक्ष्य में समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

9— प्रकरण में अभियोजन की ओर से सभी महत्वपूर्ण साक्षियों ने आरोपी के द्वारा घटना के समय कुंए में कूदकर आत्महत्या करने के प्रयास के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार कथित अपराध किये जाने के संबंध में अभियोजन मामले में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। मामलें में अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन में अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया हैं कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी के कुंए में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—309 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट